

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 2252]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

श्रमऔर रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

का.आ. 2824(अ)—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् और कार्य दशाओं तथा ठेका श्रमिक को दिये गये फायदों और उक्त धारा की उपधारा (2) में प्रगणित अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई के स्थापन में ट्राली सुधारने की नौकरी में ठेका श्रमिक के नियोजन का, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिषेध करती है।

[फा. सं. एस-16014/23/2007-एल डब्ल्यू]

राजीव सदानंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th Novtember, 2014

S.O. 2824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, and having regard to the working conditions and benefits provided to contract labour and other relevant factors enumerated in sub-section (2) of the said section, hereby prohibits the employment of contract labour in the job of trolley retrieval in establishment of the Airport Authority of India, Chennai, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-16014/23/2007-LW]

RAJEEV SADANANDAN, Jt. Secy